



आदेश/ ORDER

पारितकर्ता: ईडी (सीएनएस-ओएम) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।	मामले में: सुश्री अंकिता दिल्ली ई-मेल: ankita11@protonmail.com
Passed by: ED (CNS-OM) First Appellate Authority, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi.	In the matter of: Ms. Ankita Delhi Email: ankita11@protonmail.com

आदेश संख्या: 28 /अपील/ईडी (सीएनएस)/2026

दिनांक: 15.07.2026

1.0. प्रस्तावना

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19 के अन्तर्गत किया गया है।

1.2 इस आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

1.3 इस आदेश के विरुद्ध अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस तारीख को यह आदेश दिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ है।

2.1 सुश्री अंकिता ने दिनांक 27/05/2026 के आवेदन द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी।

2.2 सीपीआईओ/महाप्रबंधक (सीएनएस-एचआरएम) ने पत्र संख्या भाविप्रा/सीएनएस-ओएम/आरटीआई एक्ट-2005/सीपीआईओ/2026/200 (AAI/CNS-OM/RTI Act-2005/CPIO/2026/47) दिनांक 07/07/2026 के माध्यम से आरटीआई का जवाब दिया और उसका निपटारा किया।

2.3 अपीलकर्ता ने प्रथम अपील पंजीकरण संख्या AAOIN/A/E/26/00087 दिनांक 19/06/2026 को दायर की, जिसमें आधार 'No Response Within the Time Limit' बताया गया।

3.0 निष्कर्ष

3.1 सुश्री अंकिता की अपील और केस फ़ाइल को देखने के बाद, यह साफ़ किया जाता है कि पॉलिसी में बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रुप I की ट्रेनिंग के लिए कम नॉमिनेशन मिले थे; इसका कारण यह था कि ग्रुप I में शामिल प्रोफ़िशिएंसी (दक्षता) का स्तर ग्रुप II की तुलना में कम था। साथ ही, पॉलिसी में यह बदलाव विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया है। यह भी बताया जाता है कि किसी खास ट्रेनिंग के लिए उम्मीदवारों का चयन इच्छुक उम्मीदवारों से नॉमिनेशन मिलने के बाद किया जाता है, और उनका चयन सीनियरिटी और ऑपरेशनल ज़रूरतों के आधार पर होता है।

3.2 तदनुसार, सीएनएस-ओएम निदेशालय की ओर से दिनांक 19/06/2026 की अपील का निपटारा किया जाता है।

1.0. PREAMBLE

1.1 This order is made under Section-19 of the Right to Information Act 2005.

1.2 An appeal against this order lies with the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi - 110 067.

1.3 The appeal against this order may be filed within 90 days from the date on which this order should have been made or is actually received.

2.1 Ms. Ankita had sought information under RTI Act 2005 vide application dated 27/05/2026.

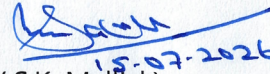
2.2 CPIO/ GM(CNS-HRM) replied and disposed of the RTI vide letter no. भाविप्रा/सीएनएस-ओएम/आरटीआई एक्ट-2005/सीपीआईओ/2026/200 (AAI/CNS-OM/RTI Act-2005/CPIO/2026/200) dated 07/07/2026.

2.3 The appellant filed the first appeal registration no. AAOIN/A/E/26/00087 dated 19/06/2026 stating the ground as 'No Response Within the Time Limit'.

3.0 FINDINGS

3.1 Having gone through the appeal of Ms. Ankita and the case file, it is clarified that change in policy is due to lesser nominations being received for group I trainings owing to proficiency amount being lower than the proficiencies covered in group II. Also, the change in policy has been carried out after due deliberation by a group of experts. It is also intimated that candidates are selected for a particular training after receiving nominations from the interested candidates and their selection for a particular training is based on seniority and operational requirement.

3.2 Accordingly, the appeal dated 19/06/2026 is disposed of on part of the Directorate of CNS-OM.


15-07-2026

(एस के मालिक/ S.K. Mallick)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / कार्यकारी निदेशक (सीएनएस-ओ एंड एम)

First Appellate Authority/ Executive Director (CNS-OM)